UPBJ160010892021

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगीना, जिला बिजनौर।

परिवाद संख्या– 1152 सन 2021

पूजा देवी बनाम पवन उपाध्याय आदि
थाना– धामपुर
जिला– बिजनौर।

तलबी आदेश

दिनांक 10–01–2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। परिवादनी को बहस तलबी पर पूर्व में सुना जा चुका है। मेरे द्वारा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवादनी ज्योति के परिवाद–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल देते हुए तर्क दिया गया कि परिवादनी की शादी विपक्षी पवन कुमार उपाध्याय के साथ करीब 9 वर्ष पूर्व हिनदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। बरवक्त शादी परिवादनी के परिवारवालों ने उपहार स्वरूप शादी में परिवादनी को काफी सामान जिनमें कीमती फर्नीचर व फ्रिज, वाशिंग मशीन, कूलर आदि दिये व 51,000/–रूपये नकद दिये, किन्तु अभियुक्तगण परिवादनी के घरवालों द्वारा दिये गये सामान को नजरों में नहीं लाये और उसे कम बताते हुए एक मोटरसाईकिल व एक लाख रूपये की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर परिवादनी के साथ मारपीट करते थे। परिवादनी के कहने पर कि मेरे घरवालों ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी कर चुके हैं अब उनके बस की आपकी कोई मांग पूरी करने की नहीं है, तो परिवादनी विपक्षीगण के सारे जुल्म सितम इस आशा से बर्दाश्त करती रही कि शायद व्यवहार में परिवर्तन आ जाये, इसी बीच परिवादनी को विपक्षी उपाध्याय से एक लडका भी पैदा हुआ, जिसकी उम्र इस समय करीब 7 वर्ष है किन्तु विपक्षीगण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा वह अपनी मांगों पर बराबर डअे रहे। दिनांक 25.06.2020 में लॉकडाउन के दौरान परिवादनी द्वारा मांगे पूरी न करने पर विपक्षीगण उसके बच्चे को रोककर बेसरोसामानी की हालत में घर से निकाल दिया और कहा कि अपने घर जाकर मांगे पूरी कराओ तभी से परिवादनी अपने पिता के घर पर रह रही है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 10.03.2021 को विपक्षीगण पवन, जोगेन्द्र, सुनीता परिवादनी के मायके मौहल्ला कलिया वाला मन्दिर धामपुर में आये और परिवादनी से कहा कि अपने पिता से हमारी दहेज की मांग पूरी कराओ। परिवादनी के कहने पर कि मेरे पिता गरीब आदमी हैं, वह आपकी कोई मांग पूरी नहीं कर सकते हैं, तो विपक्षीगण ने परिवादनी को उसके घर पर ही गंदी–गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। परिवादनी के गाली देने से मना करने पर विपक्षीगण ने

परिवादनी के साथि लात–घूसों व डण्डों से मारपीट की तथा गला दबाकर जान से मारने का भी प्रयास किया। परिवादनी को उसकी माता व धर्मेन्द्र ने बचाया। जाते समय विपक्षीगण परिवादनी को आगे मौका पाते ही जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

परिवादनी की ओर से अपने अभिकथनों के समर्थन में धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं को व धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत लता PW-1 व दीपक कुमार PW-2 को परीक्षित कराया गया है।

पत्रावली पर आये साक्ष्यों से विदित है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादनी से अतिरिक्त दहेज की मांग व प्रताडित करने तथा दिनांक 10.03.2021 को विपक्षीगण द्वारा परिवादनी के मायके आकर उसके साथ मारपीट करने, गाली–गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध अभिकथित हैं। उक्त अभिकथनों का समर्थन परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण लता PW-1 व दीपक कुमार PW-2 ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में किया है। ऐसे में विपक्षीगण 1 ता 3 के विरूद्ध धारा 498–ए, 323, 504,506 भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है तथा उन्हें विचारणार्थ न्यायालय आहूत किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

परिवाद उपरोक्त में **अभियुक्तगण पवन उपाध्याय, जोगेनद्र उपाध्याय व सुनीता** को धारा **498–ए, 323 504, 506 भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत विचारणार्थ बजरिये समन दिनांक 13–02–2023 नियत कर न्यायालय आहूत किया जाता है। परिवादनी वांछित पैरवी अन्दर 7 दिन करें।

दिनांक–10.01.2024

(आमोद कंठ)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नगीना, जिला बिजनौर